

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़ जिला सीकर**  
**(पीठासीन अधिकारी प्रशासन गांवों के संग अभियान) कैम्प लिखमा का खाता**

**आदेश**

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, प्रार्थी के बयान व सहखातेदार के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 व धारा 88 आर.टी.एक्ट के अनुसरण में ग्राम ~~भू-राजस्व~~ <sup>लिखमा</sup> तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर की जमाबन्दी सम्वत् ~~२०१६-१७~~ <sup>२०२१-२२</sup> में खाता संख्या 37 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. सं.	ग्राम / पोल	खाता संख्या / खसरा नम्बर	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1	गढ़ लिखमा	खाता संख्या - 37	पुत्रराम पुत्र दनुमान	पुत्रराम पुत्र दनुमान पत्र दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। किसी भी आग्रह का स्वागत आदेश न है जो दर्ज करें।

प्रशासन गांवों के संग अभियान - 2021

राजेश कुमार मीणा  
 (राजेश कुमार मीणा)  
 उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़ जिला सीकर

दिनांक:- 01/12/2021

क्रमांक / कैम्प / 2021 / 668  
 प्रतिलिपि:-

- 1 तहसीलदार, दांतारामगढ़ को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
- 2 प्रार्थी श्री.....को सुचनार्थ।
- 3 रक्षित पत्रावली।

प्रशासन गांवों के संग अभियान - 2021  
 पीठासीन अधिकारी प्रशासन संग गांवों के अभियान-2021  
 उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़ जिला सीकर।

राजेश कुमार मीणा  
 उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ जिला सीकर